



Date ...10/01/2020

**TO WHOMSOEVER IT CONCERN**


**TITLE SEARCH REPORT**

1. It is to be certified that khasra No. 1324/196 measuring 2-01Biswa, 196 measuring 2-15 Bigha, 198 measuring 2-06 Bigha lands were belongs to Khatadari of M/s Shree Ostwal Builders Ltd., Bhayandar East Mumbai of the above mentioned Khasra in revenue record. M/s Shree Ostwal Builders Ltd, Bhayandar East moved proceeding before UIT, Bhilwara under Section 90 (A) L.R. Act. So as per order passed under section 90(A), this land was surrendered to UIT, Bhilwara for regularization/ issuing Patta Vilekh for residential purpose. As per order under section 90(A) L.R. Act, the land was mutated in the name of UIT, Bhilwara. Then UIT, Bhilwara issued a lay-out plan of 96 Plots. Out of 96 plots, Shree Ostwal Builders Ltd, Bhayandar East, Mumbai executed Provisional Allotment/ Possession Letters (Prapatra D) for 42 plots in favour of Shri Kuldeep Ostwal S/o Shri Umrao Singh Ostwal, 10 Plots in favour Shri Umrao Singh Ostwal s/o Shri Prithviraj Ostwal, 19 Plots in favour of Smt. Asha w/o Umrao Singh Ostwal and 17 plots remains with Shree Ostwal Builders Ltd. which are mentioned in "Annexure A" and thereafter, UIT, Bhilwara issued Allotment letters in favour of the same persons as mentioned in "Annexure A".
2. I have examined following documents for title search report:
  - i. Jamabandi of Khasra No. 1324/196, 196, 198 Revenue village Malan, Bhilwara, Rajasthan.
  - ii. Order passed by UIT, Bhilwara under Section 90 (A) L.R. Act in favour of M/s Shree Ostwal Builders Ltd, Bhayandar East, Mumbai.
  - iii. Letter dated 08/08/2019 issued by UIT, Bhilwara for approval of lay-out plan.
  - iv. Layout plan approved by layout plan approval committee UIT Bhilwara.
  - v. Provisional Allotment/ Possession Letters (Prapatra D) for 88 plots.
  - vi. Regularization/Allotment Letters for plots mentioned in "Annexure A".
3. I am of the opinion that as per above record and procedure adopted under section 90(A) L.R. Act that Shri Kuldeep Ostwal s/o Shri Umrao Singh Ostwal, Shri Umrao Singh Ostwal s/o Shri Prithviraj Ostwal, Smt. Asha w/o Umrao Singh Ostwal and Shree Ostwal Builders Ltd. will get a valid, clear, absolute, marketable title on the said Plots which are mentioned in Annexure "A" after execution and registration of Patta Vilekh by UIT, Bhilwara. I certify that said property is not hit by any sort of restriction under Land laws or any other Centre/State Legislation. I further certify that the above title deeds are genuine and not forged.

**For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.**

*Umrao Singh*

**DIRECTOR**



रजिस्टर्ड ए.डी.



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : समर्पण/2019/२१५३-५७  
प्रकरण सं. : ८९५ वर्ष 2019

दिनांक : 7/08/2019

मैसर्स श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लिमिटेड  
जरिये निदेशक श्री कुलदीप ओस्तवाल आत्मज उमराव सिंह ओस्तवाल  
सा. देह खातेदार

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक : 7/08/2019

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
भीलवाड़ा	मलाण	1324/196 रकबा 0-02-01 बीघा 196 रकबा 02-15 बीघा 198 रकबा 2-06 बीघा	05-03-01 बीघा

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शंथपत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने तहसीलदार न्यास, भू-अभिलेख निरीक्षक, स्थानीय प्राधिकारी एवं भूमिधारी तहसीलदार भीलवाड़ा की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदक को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Amra Si*

DIRECTOR

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि आराजी नंबर 1324/196, 196, 198 रकबा 05-03-01 बीघा की ग्राम मलाण तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनो और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 7/08/2019 को पारित किया गया।

ए०/—  
प्राधिकृत अधिकारी  
नगर विकास न्यास, भीलवाडा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

1. जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा।
2. सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
3. तहसीलदार भीलवाडा को पूर्वोक्त भूमि को नगर विकास न्यास, भीलवाडा के नाम नामान्तरण करने और आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्तक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
4. श्री ओमप्रकाश तिवाड़ी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, न्यास हाजा को प्रेषित कर लेख हैं कि आदेश को न्यास की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
5. मैसर्स श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लिमिटेड सा. भाईन्दर (ईश्ट) मुम्बई।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*(Signature)*

DIRECTOR

*(Signature)*  
प्राधिकृत अधिकारी  
नगर विकास न्यास, भीलवाडा





# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19 **4 2 4 6 4** (राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक **24 OCT 2019**

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 310 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $18 \times 41 + 42/2 = 83.00$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 310 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 310 आकार  $18 \times 41 + 42/2 = 83.00$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 12201/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4669/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि न्यास के पक्ष में कोई भी न्यास कार्य और देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करने वाले/लिपिकीय भूल से कम जमा होने पर देय राशि जमा कराने के लिए न्यास पत्र को निरस्त किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करना होगा।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/वि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। वयों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTVAL BUILDERS LTD.

*Contract*

*[Signature]*  
सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

DIRECTOR



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 6 5

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT. 2017

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 311 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x42+43/2=85.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 311 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 311 आकार 18x42+43/2=85.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 12495/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4781/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई भी व्यक्ति/सम्पत्ति/सहकारी/नगर विकास न्यास/राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविधि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Signature*

DIRECTOR

*Signature*  
सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 6 6

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT. 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 312 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $18 \times 43 + 44/2 = 87.00$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 312 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 312 आकार  $18 \times 43 + 44/2 = 87.00$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 12789/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4894/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शारित देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई भी कारणों से न्यास कार्य रुक देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये माह माह निर्धारित रूप में किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम 1959 (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करना होगा।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अप्रिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

Lemraabi.

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
निर विपगत न्यास, भीलवाड़ा







# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19 **4 2 4 6 9** (राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक **24 OCT 2019**

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 315 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x46+47/2=93.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 315 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 315 आकार 18x46+47/2=93.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 13671/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 5231/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शासित देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि यह प्रवृत्त क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिये आवश्यक राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई हैं तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये न्यास को सूचित किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Lent...*

DIRECTOR

*[Signature]*

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 4 7 0

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक: 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 316 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $18 \times 47 + 48.3/2 = 95.25$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 316 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 316 आकार  $18 \times 47 + 48.3/2 = 95.25$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 14002/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 5358/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शारित देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् **आवेदन को लौटाई जा रहा है।** न्यास के पक्ष में निर्माण कार्य के विना न्यास द्वारा देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा **नियमन पत्र जारी किया जावेगा**।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना **न्यास के पक्ष में निर्माण कार्य जारी किया जावेगा।**
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Ummadi*

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नियमन/19







# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 4 7 3

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 319 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 319 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 319 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शासित देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि न्यास को पता चले कि नियमन पत्र जारी करने के लिये न्यास को देय राशि जमा करने में देर हो रही है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये न्यास को देय राशि जमा कराने का निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये तैयार होना होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Leema Di.*

DIRECTOR

*H. S. Singh*

सा.स.स.स.

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 4 7 4

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 320 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 320 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 320 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि न्यास को न्यास के लिये निर्माण पत्रधारियों द्वारा देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये निर्माण पत्रधारियों को बाध्य किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/वि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

Umrao Si.

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा









# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 7 8

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 324 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 324 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 324 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि यहाँ पर कोई भी जिला, जिला विकास अधिकारी या शिपों लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये न्यास धारी बाध्य होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

(Signature)

(Signature)

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

DIRECTOR



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 7 9

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT. 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 325 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 325 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 325 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि यह प्रावधानों के विरुद्ध कोई भी शिकायत/आवेदन/राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करावे अन्यथा न्यास को न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

Signature: \_\_\_\_\_

DIRECTOR

Signature: \_\_\_\_\_  
 सचिव  
 नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
 नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 8 0

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 326 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 326 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 326 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्त्र देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि प्रादित कॉलोनी में संपूर्ण भूखण्ड आवंटन/नियमन कार्य पूरा देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराते दस्तवेज/नियमनपत्र जारी किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निरस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) अधिनियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा समस्त न्यास आवंटन/नियमन कार्य पूरा करने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्योंकि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

FOR SHALE ESTAL BUILDERS LTD.

*Signature*

DIRECTOR

*Signature*

साथिक  
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 8 1

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT. 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 327 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $29.3+10.3/2 \times 40=87.77$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 327 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 327 आकार  $29.3+10.3/2 \times 40=87.77$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 12902/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4937/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्त्रित देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि आवंटी के पक्ष में कोई भी आपत्ति/क्षति/क्लेम/अन्य प्रकार का दावा/समस्या उत्पन्न हो तो आवंटी को निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के अधिनियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करना होगा।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्योंकि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTIAL BUILDERS LTD.

*Lemma S*

DIRECTOR

*(Signature)*

सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा





# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 8 3

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 329 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x45=90.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 329 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 329 आकार 18x45=90.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 13230/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 5063/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई भी आपत्ति/क्षति/बाधक के लिये न्यास/नियमन/आवंटन/पत्रधारियों लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने विकल्पित न्यास/नियमन/आवंटन/पत्रधारियों बाध्य होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों के निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

FOR SHREE SUSTIAL BUILDERS LTD.

*Contractor*

DIRECTOR

*S. S. S.*  
सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 4 8 4

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24.OCT. 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 330 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x45=90.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 330 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 330 आकार 18x45=90.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 13230/-रु. जमा करा गी गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

- यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
- शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 5063/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
- प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
- उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
- नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी।
- आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
- भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
- उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्त्रित देय होगी।
- नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई भी भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये भूखण्ड/भवन के आवंटी को सूचित किया जावेगा।
- नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय तदनुसार न्यास/खातेदार/विकास कर्ता द्वारा आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
- योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
- राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Cemra Ltd.*

DIRECTOR

*[Signature]*  
सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा







# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

## भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 8 7

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 333 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x45=90.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 333 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 333 आकार 18x45=90.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 13230/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 5063/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि यह क्षेत्र में कोई भी नया भूखण्ड/भवन/निर्माण कार्य किया जावेगा तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये नियमन न्यास को सूचित किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करना होगा।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Signature*

*Signature*  
सचिव  
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

DIRECTOR





# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन / भूमि / नियमन / आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 4 8 9

पत्रांक : नियमन / 19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र / नगर / कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार / अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 335 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $15.6+37/2 \times 45=131.25$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 335 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 335 आकार  $15.6+37/2 \times 45=131.25$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 19294/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार / अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार / अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 7383/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड / भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग / निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य / दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन / नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन / नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड / भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि आवंटी में सम्पूर्ण जलाने के लिए आवश्यक कार्य पूरे न किये जायें तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिए न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार / नगर सुधार न्यास / स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश / आदेश / परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी पड़ेगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता / गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति / नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

Ummadi

DIRECTOR

सचिव  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा









# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 4 9 3

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 4 OCT. 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 339 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $20+34.6/2 \times 45 = 136.25$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 339 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 339 आकार  $20+34.6/2 \times 45 = 136.25$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 20029/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 7664/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शासित देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई भी भूखण्ड/भवन का निर्माण न्यास के द्वारा जारी किया गया भूखण्ड/भवन के लिये लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करने के लिये न्यास को लिखित रूप से सूचित किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि विस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्योंकि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*(Signature)*

DIRECTOR

*(Signature)*  
सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

## भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 4 9 4

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 340 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $39.9+28.6/2 \times 35=132.7$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 340 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 340 आकार  $39.9+28.6/2 \times 35=132.7$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 19507/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 7464/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शासित देय होगा।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति एवं क्लेम किया जावेगा तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने पर ही नियमन पत्र जारी किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

*(Signature)*

DIRECTOR

*(Signature)*  
सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

## भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 4 9 5

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 4 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 341 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x35=70.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 341 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 341 आकार 18x35=70.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 10290/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 3938/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई भी आपत्ति आयेगी तो न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि, निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

*Signature*

DIRECTOR

*Signature*  
सचिव  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा









# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 4 9 9

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24.OCT.2019

पत्रांक : नियमन/19

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 345 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x35=70.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 345 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 345 आकार 18x35=70.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 10290/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 3938/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई भी भूखण्ड/भवन का निर्माण न्यास के नियमन के अनुसार न हो तो न्यास को आवंटी से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये नियमन का उचित प्रयोजन होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों के निर्माण कार्य के लिये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*(Signature)*

DIRECTOR

सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा







# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

4 2 5 0 2

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक

24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 348 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x35=70.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 348 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 348 आकार 18x35=70.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग) की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 10290/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2700/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4725/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्त्रित देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि नियमन/आवंटन राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करने के लिये नियमन/आवंटन राशि को जमा कराया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प:2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Signature*

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 5 0 3

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 349 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x35=70.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 349 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 349 आकार 18x35=70.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 10290/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2700/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4725/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् खातेदार/अधिकृत द्वारा देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करने के लिये नियमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों के निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*(Signature)*

DIRECTOR

*(Signature)*  
सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 5 0 4

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 350 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री कुलदीप ओस्तवाल पुत्र श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x35=70.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 350 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 350 आकार 18x35=70.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 10290/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2700/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4725/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्त्रित देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि उक्त भूखण्ड/भवन का आवंटन/नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् न्यास को आवंटी से क्षति हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करवाये जावेगी।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग के बिना) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय न्यास/खातेदार द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Umarav*

DIRECTOR

सचिव  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विपणन न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 1 7

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 368 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $30 \times 31.6 + 40.9/2 = 120.41$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 368 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 368 आकार  $30 \times 31.6 + 40.9/2 = 120.41$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 17700/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 6773/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु आवंटी को न्यास में सौंपा जाये तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करने के लिये आवंटी को न्यास में सौंपा जायेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु आवंटन और आवंटी) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय न्यास के तहत आवंटी को न्यास में सौंपा जायेगा।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Umrao Singh*

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा





# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19 4 2 5 1 9

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 370 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x38.6=77.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 370 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 370 आकार 18x38.6=77.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11319/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4331/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि आवंटी के पक्ष में न्यास के पक्ष में कोई भी आपत्ति/क्षति/क्लेम/विवाद/अन्य प्रकार का मुद्दा उत्पन्न हो तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये आवंटी को न्यास के पक्ष में कार्य करना होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय न्यास के तहत जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करने का हक होगा।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Signature*

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा













# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19 **4 2 5 2 5** (राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 376 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x38.6=77.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 376 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 376 आकार 18x38.6=77.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11319/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4331/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् **प्रैक्टिस कोलोनाईजर है।** यदि न्यास में उक्त भूखण्ड के विक्रम/सूचना अनुसार देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये नियमन पत्र जारी किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, **यदि न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।**
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*(Signature)*

DIRECTOR

*(Signature)*  
साचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास पत्र, भीलवाड़ा







# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

4 2 5 4 0

राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 391 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 391 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 391 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 1760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि आवंटी के नियमानुसार किये गये शर्तियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये नियमानुसार न्यास को सूचित किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करना होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्योंकि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Umarav*

*सचिव*

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

4 2 5 4 3

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 394 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 27.3+14.9/2x40=93.33 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 394 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 394 आकार 27.3+14.9/2x40=93.33 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि) का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 13720/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2700/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 6300/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि आवंटी प्रस्तावना के तहत न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक-जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्योंकि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार न्यास भूखण्ड तथा भवन के आवंटन के लिये न्यास को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

FOR SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Signature*

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
राज्य

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19 4 2 5 4 4 (राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 395 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 395 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 395 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

- यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
- शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
- प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
- उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
- नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा। आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
- भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
- उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शासित देय होगी।
- नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि आवंटी के पक्ष में कोई भी आपत्ति/क्षति/बाधक कार्यों लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करने के लिये आवंटी को बाध्य होगा।
- नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
- योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
- राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Umasi*

DIRECTOR

*Umasi*

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा









# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 4 8

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 397B का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 397B का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 397B आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 1760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करना होगा।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Cemmasi*

DIRECTOR

सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 4 9

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 397C का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्रीमति आशा उमराव सिंह ओस्तवाल पत्नि श्री उमराव सिंह ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18+20.9/2x40=86.11 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 397C का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 397C आकार 18+20.9/2x40=86.11 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 12658/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4843/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्ज करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्ज मान्य होगा। आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि यह पता चले कि जिस भी न्यास के आवंटी राशियाँ लिपिकीय मूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये नियमनपत्रधारी बाध्य होगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Lemra*

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा





# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 3 1

गैर योजना क्षेत्र

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 382 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 382 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 382 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Signature*

*Signature*

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

DIRECTOR



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 5 3 2

24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : .....

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 383 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 383 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 383 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करायी गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी। **A प्राईवेट कॉलोनी है।**
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् **अपने पक्ष में आर्थिक सुविधा के अनुसार देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करवाने के लिये प्रपत्र-द के तहत न्यास को आवंटी के पक्ष में आवेदन करने का अधिकार न्यास को होगा।**
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, **राजस्थान न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।**
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Lemmas*

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

DIRECTOR



# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 3 3

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 384 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 384 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 384 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा। भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् आवंटी को देय राशियाँ लिपिकीय भूल से कम जमा हुई है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये निर्माणपत्र जारी करवाया जायेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिमहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

CemraSi

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा







# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

## भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 3 6

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 387 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 387 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 387 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा गयी है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि न्यास के अन्तर्गत भूखण्ड के क्षेत्र में कोई भी भूखण्ड/भवन का निर्माण किया जावेगा तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये नियमन पत्रधारी द्वारा जमा किया जावेगा।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय न्यास/नगर विकास न्यास के द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करना होगा।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अग्रग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

Umarabi

DIRECTOR

सायबु

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा





# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

4 2 5 3 8

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT 2019

पत्रांक : नियमन/19

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 389 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री उमराव सिंह ओस्तवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज ओस्तवाल निवासी जिला ठाणे महाराष्ट्र ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 389 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 389 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 11760/-रु. जमा करा गी गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
10. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई भी कारण है कि न्यास को निरस्त करने का हक है तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये नियमन पत्रधारी को उत्तरदायित्व होवेगी।
11. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान न्यास अधिनियम (शहरी भूमि निरस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
12. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
13. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्योंकि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*Signature*

DIRECTOR

*Signature*  
सूचिव  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा













# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19 **4 2 5 0 9**

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक **24 OCT 2019**

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. **196, 198, 1324/196** में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री हस्तीमल ओस्तवाल के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या **352** का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री हस्तीमल ओस्तवाल ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. **196, 198, 1324/196** में **15x40=66.66** वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या **352** का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या **352** आकार **15x40=66.66** वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि **9799/-** रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर **2250/-** रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से **3750/-** रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा। आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
7. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
8. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
9. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि आवंटी को न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये नियमन प्रपत्र जारी किया जावेगा।
10. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगर विकास अधिनियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा सप्तसय वर्षीय खातेदार/खातेदार/विकास कार्य के लिये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
11. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
12. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*(Signature)*

DIRECTOR

*(Signature)*  
सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा





# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 1 1

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक: 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री हस्तीमल ओस्तवाल के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 354 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री हस्तीमल ओस्तवाल ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 15x40=66.66 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 354 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 354 आकार 15x40=66.66 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 799/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 3750/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा। आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
7. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
8. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी।
9. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् आवंटी को न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी।
10. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय न्यास के अधिनियमों के तहत जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करना होगा।
11. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
12. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

*(Signature)*

DIRECTOR

25m  
साचिव  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा  
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

















# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 3 0

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री हस्तीमल ओस्तवाल के पक्ष में स्वीकृत प्लान, अनुसार भूखण्ड संख्या 381 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री हस्तीमल ओस्तवाल ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में 18x40=80.00 वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 381 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र'द' के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 381 आकार 18x40=80.00 वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 1760/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी।
7. नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
8. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
9. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
10. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शास्ति देय होगी। **▲ प्राईवेट कॉलोनीज़र है!**
11. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि भूखण्ड/भवन का निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना किया जावेगा तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा कराने के लिये न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
13. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
14. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS LTD.

Umasi

DIRECTOR

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा





# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

(आवासीय प्रयोजनार्थ)

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

4 2 5 4 2

गैर योजना क्षेत्र

पत्रांक : नियमन/19

(राजस्व ग्राम मलाण क्षेत्र/नगर/कॉलोनी)

दिनांक : 24 OCT 2019

राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में खातेदारान द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन कराया जाकर धारा 90अ भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि न्यास में समर्पित की गयी है। खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा टाऊनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12(ii) के अनुसार श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री हस्तीमल ओस्तवाल के पक्ष में स्वीकृत प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 393 का पट्टा जारी करने हेतु नामित करते हुए प्रपत्र-द इनके पक्ष में जारी किया गया है।

श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री हस्तीमल ओस्तवाल ने राजस्व ग्राम मलाण की आराजी सं. 196, 198, 1324/196 में  $30 \times 46.6 + 56/2 = 170.83$  वर्ग गज आकार के भूखण्ड संख्या 393 का टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार खातेदार (डवलपर) द्वारा जारी प्रपत्र-द के आधार पर नियमन हेतु आवेदन किया गया है। टाऊनशीप पॉलिसी 1.1.2002 के अनुसार डवलपर द्वारा जारी प्रपत्र-द के अनुसार आवेदक के पक्ष में आवेदित भूखण्ड संख्या 393 आकार  $30 \times 46.6 + 56/2 = 170.83$  वर्ग गज का नियमन राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि) गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के तहत किया जाता है। नियमन राशि 25112/-रु. जमा करा ली गई है। सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटी का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना क्षेत्र की आरक्षित दर 2250/-रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से 9609/-रु. प्रतिवर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की 8 वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।
3. प्रत्येक 15वर्ष के बाद लीज राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी व प्रत्येक हस्तान्तरण पर भी 25% लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने पर न्यास को, किये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटी की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा व भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमनपत्रधारी कोई उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा व न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा। आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
7. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
8. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 7 वर्ष में पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में उक्त नियमों में विहित अनुसार शासित देय होगी।
9. नियमन पत्र जारी करने के पश्चात् यदि आवंटी में सम्पूर्ण आन्तरिक विकास कार्य स्वयं खातेदार/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा ही किया जावेगा तो नियमानुसार देय अन्तर राशि जमा करवाये जाने पर भवन निर्माण कार्य बाध्य होगा।
10. नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि) गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास/स्थानीय विभाग द्वारा समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटी बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
11. योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
12. राज्य सरकार के स्पष्टीकरण क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 28.04.2017 के अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है तो भी पट्टा जारी किया जा सकता है। क्यों कि पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसे भूखण्ड पर किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जाएगा। अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं की गई है।

नोट : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.12 के अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड अथवा भूखण्ड के आंशिक भाग को बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

For SHREE OSTWAL BUILDERS

*(Signature)*

DIRECTOR

*(Signature)*  
सोचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा